D:\RSWC_ADM_Sect\ADM\Assembly\2018 July 2018\O_30.08.2018.doc

विधानसभा
अतिआवश्यक

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./विधानसभा/एफ.15(106)2018/ 12984 दिनांक 30.08.2018

कार्यालय आदेश

चौहदवीं विधानसभा का ग्यारहवें सत्र दिनांक 05.09.2018 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त विधानसभा सत्र के लिये श्री राज वर्धन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विधानसभा सत्र के दौरान प्रधान कार्यालय में समन्वय एवं विधानसभा से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं, प्रश्नों के उत्तर आदि सम्बन्धित विभागों को तत्काल समय पर भिजवाने हेतु निगम के प्रधान कार्यालय में तत्काल प्रभाव से एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। श्री आर.पी. आसोपा, सहायक निदेशक (प्रशासन), उक्त विधानसभा सत्र के नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी होंगे।

नियन्त्रण कक्ष में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी श्री आर.पी. आसोपा, सहायक निदेशक (प्रशासन) के निर्देशानुसार कार्य करेंगे—

1. श्री जुगल किशोर सैनी, भण्डार प्रबन्धक (संविदा), सहप्रभारी, नियन्त्रण कक्ष
2. श्री विशाल जैन, प्रशासनिक सहायक,
3. श्री सुमेर सिंह शेखावत, स्टेनोग्राफर (संविदा)
4. श्री टेमचन्द शर्मा, कनिष्ठ सहायक (संविदा)
5. श्री सुभाष चन्द शर्मा, गोदाम रक्षक
6. श्री दौलत अली, चपरासी (संविदा) (फोटोस्टेट कार्य हेतु)
7. श्री धनसिंह, चपरासी
8. श्री दिनेश चन्द सैनी, चपरासी
9. श्री कृष्णा नन्द, चपरासी

सहायक निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से समन्वय कर आवश्यकतानुसार नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय समय से पूर्व एवं कार्यालय समय के पश्चात बुला सकते है/कार्यालय में रोक सकते है तथा अवकाश के दिन भी बुला सकते हैं। सत्र के दौरान नियन्त्रण कक्ष के समस्त अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नोडल अधिकारी/नियन्त्रण कक्ष प्रभारी की पूर्व अनुमति से ही कार्यालय से प्रस्थान करेंगे। सत्र के दौरान विधान सभा से सम्बद्ध समस्त प्रश्न/सूचनाऐं नियन्त्रण कक्ष प्रभारी द्वारा प्राप्त किये जाकर उन्हें अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अनुभागों को उपलब्ध कराया जाकर निगम का जवाब अनुभागों से प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि विभाग के लिये प्रश्न दिवस के रूप में सोमवार व गुरूवार को नियत है तथा प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे लाटरी प्रक्रिया से निकलने वाले अति लोक महत्व के विषयों की पर्ची तथा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाये जाने वाले विषयों का त्वरित जवाब देना होता है। अतः प्रत्येक प्रश्न दिवस को एवं पर्ची या स्थगन का जवाब देने वाले सम्बन्धित अनुभागाधिकारी पूर्ण विवरण के साथ विधानसभा स्थित कक्ष नम्बर 238 में प्रातः 9.30 से 10.00 बजे तक उपस्थित होकर माननीय मंत्री महोदय से सम्बन्धित विषय वस्तु पर चर्चा कर जवाब देने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

नियन्त्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2565087, 2565089, 2562633 एवं 2576965 है एवं प्रधान कार्यालय का फैक्स नम्बर 0141–2560698 एवं 0141–2564428 है। श्री राज वर्धन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नोडल अधिकारी के कार्यालय का दूरभाष नम्बर 2576965 एवं मोबाइल नं. 94133–86789 है। उपरोक्त विधानसभा सत्रावधि में वाहन सं. आर.जे.14–सीके–7088 मय वाहन चालक, नोडल अधिकारी/नियन्त्रण कक्ष के अधीन रहेगा।

नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री आर.पी. आसोपा, सहायक निदेशक (प्रशासन) का मोबाइल नं. 94140–16337 एवं नियन्त्रण कक्ष सहप्रभारी श्री जुगल किशोर सैनी, भण्डार प्रबन्धक का मोबाईल नं0 94140–73823 है।

Sd/-
कार्यकारी निदेशक

PTO

प्रतिलिपि—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय, जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे निगम विधानसभा नियन्त्रण कक्ष से प्रश्न/सूचना प्राप्त होने पर जवाब तैयार कर उसे सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाकर **मंगल फॉण्ट** में मय हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के विधानसभा नियन्त्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी/सहप्रभारी अधिकारी को उसी दिन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, गौपालन एवं कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड।
10. गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)